# कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/प्रारं/शि0सं0/एफ-1/नोशनल/निर्देश/19 दिनांक : 01/02/19

जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा,
समस्त ।

विषय : तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2012 व 2013 के अन्तर्गत संशोधन एवं पुनः संशोधित परिणाम में चयनोपरान्त नियुक्त शिक्षकों द्वारा प्रथम परिणाम में नियुक्त शिक्षकों के समान नोशनल परिलाभ हेतु माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में पारित निर्णयों के सम्बन्ध में ।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्रांक : शिविरा /प्रारं/विधि/ए-1/ जय/ 6619/डी/17 दिनांक 26.11.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत उक्त अंकित भर्ती के अन्तर्गत अनेक ऐसे अभ्यर्थी रहें हैं जिनकी नियुक्ति अपने समकक्ष मैरिट वाले अभ्यर्थी के साथ नहीं हुई अपितु देरी से हुई। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा याचिका सं 3247/2015 हेमलता श्रीमाली व अन्य बनाम सरकार एवं इससे जुड़ी अन्य 58 याचिकाओं में निर्णय दिनांक 01.04.15 को पारित किया । माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में पैरा नं. 12 में अंकित किया गया है कि *"......It is clarified that if the candidates belonging to the 'Y' and 'Z' categories stated hereinabove are found eligible as per the decision of the Apex Court in SLP referred above, they shall be given notional benefits including the benefit of seniority, but not the monetary benifits."*

राज्य सरकार के पत्र क्रमांकःप.18(279)प्राशि /वि.प्र./18 दिनांकः 20.11.18 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा उक्त पारित निर्णय दिनांकः 01.04.15 की अनुपालना करते हुए उक्त निर्णय दिनांक 01.04.15 के आधार पर निर्णीत समान अन्य प्रकरणों में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना किये जाने की कार्यवाही कराने बाबत् निर्देशित किया जिस पर कार्यालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों को उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्राशि द्वारा उक्त आदेशों की पालना के तहत् नोशनल परिलाभ देने के संबंध मे अलग अलग प्रकार के आदेश पारित किये जा रहे हैं कतिपय जिशिअ प्राशि कार्यालयों द्वारा नोशनल परिलाभ देने के अभ्यावेदनों को स्वीकार करते समय परिवीक्षाकाल की अवधि मे भी उन्हे नियमित वेतन श्रंखला का लाभ देते हुए आदेश पारित किये जा रहे है जब कि ***राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 3 'सेवा की सामान्य शर्तें' के नियम 8 के अन्तर्गत 20.01.2006 या इसके पश्चात राजकीय सेवा***

***में प्रवेश करने वाले किसी भी कार्मिक को दो वर्ष की कालावधि में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जाएगा एवं परिवीक्षा प्रशिक्षु अवधि के दौरान उसे नियत पारिश्रमिक संदत किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत किया जाए ।***

विभिन्न शिक्षक संघों द्वारा यह मांग की जा रही है कि समस्त जिलों में उक्त निर्णय की पालना एकरूपता से की जावे । उक्त स्थिति के मध्यनजर विभिन्न जिशिअ कार्यालयों द्वारा भी मार्गदर्शन चाहा जा रहा है ।

प्रकरण का विधिक एवं नियमान्तर्गत गहन परीक्षण किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय निर्णय की पालना में अभ्यावेदन निस्तारित करते समय राजस्थान सेवा नियमों का पूर्णतः पालन किया जावे । परिवीक्षाकाल प्रशिक्षु अवधि में कार्मिक को ***राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 3 'सेवा की सामान्य शर्तें' के नियम 8 के अन्तर्गत*** राज्य द्वारा निर्धारित नियत पारिश्रमिक ही संदत हो तथा उसे वास्तविक लाभ परिवीक्षा प्रशिक्षु अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर ही प्राप्त हों इस बात को सुनिश्चित किया जावे ।

यदि पूर्व में उक्त नियम के विपरीत आदेश आपके कार्यालय द्वारा जारी किया गया हो तो तत्काल प्रत्याहारित करावें तथा नियम विरुद्ध किये गये भुगतान की वसूली करावें, नियम विरुद्ध भुगतान की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा आपके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही संपादित की जावेगी ।

निदेशक<br>
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं<br>
पंचायत राज (प्रारंम्भि शिक्षा) विभाग<br>
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित :

1. शासन उपसचिव, प्रारंभिक शिक्षा, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
2. मुख्य लेखा अधिकारी कार्यालय हाजा
3. उपविधि परामर्शी कार्यालय हाजा
4. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा समस्त मंडल को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करावें तथा पालना पश्चात अपने मंडल के सम्बन्ध में समेकित प्रमाणपत्र जारी कर प्रेषित करावें ।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करावें ।
6. प्रभारी सूचना सहायक को पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

निदेशक<br>
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं<br>
पंचायत राज (प्रारंम्भि शिक्षा) विभाग<br>
राजस्थान बीकानेर